संख्याः77 भू0क्य/18(1)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 10 जुलाई, 2008

विषयः—मै0 फेरोन बायोफार्मास्यूटिकल प्रा0लि0 को तहसील लक्सर के ग्राम— प्रहलादपुर परगना गोरधनुपर में फार्मास्यूटिकल की स्थापना हेतु कुल 0.6605 है0 भूमि क्य करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या— 567/भूमि व्यवस्था— भू0क0 दिनांक 20—6—2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 फेरोना बायोफार्मास्यूटिकल प्रा0लि0 को फार्मास्यूटिकल की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा—154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील लक्सर के ग्राम प्रहलादपुर में खसरा नं0 502म, 480म, 489, 487म, 488म कुल रकबई 0.6605 है0 भूमि क्य करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिवन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

1— क्रेता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।

2— क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि वन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— क्रेता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्य विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (फार्मास्यूटिकल्स फार्म्यूलेशन विनिर्माण) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्य, उपहार

.....(2)

या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिनों के लिए वैध होगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 2 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाय।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग इकाई द्वारा प्रस्तावित "फार्मास्यूटिकल फार्म्यूलेशन" विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिये किया जायेगा।

8– कम्पनी द्वारा प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को नियमित रूप से न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

9– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– प्रस्तावित इकाई का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा–2005 के अनुरूप होगा।

11– इकाई में पूंजी निवेश से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ड्रग कन्ट्रोलर से ड्रग लाईसेंस तथा अग्निशमन विभाग से नियमानुसार स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

.....(3)

12- इकाई द्वारा प्रस्तावित "फार्मास्यूटिकल फार्म्युलेशन" विनिर्माण क्रियाकलाप, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 जनवरी, 2003 में थ्रस्ट उद्योग के अन्तर्गत एनेक्चर-2 में अंकित होने के कारण थ्रस्ट उद्योग के क्रियाकलापों को घोषित औद्योगिक क्षेत्र से बाहर भी इकाई की स्थापना किये जाने पर भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

13- प्रश्नगत स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यो का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा। प्रस्तावित इकाई की स्थापना के संदर्भ में वर्तमान में अनापत्ति मात्र भूमि कय व्यवस्था के संदर्भ में दी जा रही है।

14- किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाये।

15- भूमि का विकय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विकय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

16- इकाई की स्थापना के पूर्व उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य वांछित विधिक एवं अन्य अनापत्तियां /अनुज्ञायें/प्रमाण पत्र आदि नियमानुसार प्राप्त कर लिये जायेंगे।

17- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
3- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

.....(4)

4– सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6– निदेशक, उद्योग, इन्ड्रस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
7– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2–न्यूकैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।
8– श्री प्रवीण भटनागर, डायरेक्टर, मै0 फेरान बायोफार्मास्यूटिकल प्रा0लि0, 929 सैक्टर–4 आर0के0 पुरम, नई दिल्ली ।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

1007082012